

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या— उ0सं0वि0—26/2003 विभागीय अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 17.02.2004,
जिसके द्वारा प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय उपभोक्ता संरक्षण
अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में लिया गया है,
के क्रम में जहानाबाद, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया जाता है जिसमें
निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- 1 जिला समाहर्ता — अध्यक्ष
 - 2 जिला आपूर्ति पदाधिकारी — सदस्य सचिव
- (क) जिला से संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि
3. जिला से निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य
 4. जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य
- (ख) विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि
5. उप विकास आयुक्त — सदस्य
 6. जिला शल्य चिकित्सक — सदस्य
 7. जिला कल्याण पदाधिकारी — सदस्य
 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी — सदस्य
 9. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम — सदस्य
 10. अध्यक्ष, जिला परिषद् — सदस्य
 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन — सदस्य
- (ग) महिला प्रतिनिधि—
- 1 श्रीमति अनिता देवी, मुखिया, — सदस्य
ग्राम पंचायत— कलानौर
पता— ग्राम— मनियारगंज,
पंचायत— कलानौर, थाना— कलानौर
 - 2 श्रीमति पुनम देवी, — सदस्य
वार्ड पार्षद, वार्ड नं0—25, नगर परिषद् जहानाबाद,
पता— मो0— अम्बेदकर नगर,
पो0+थाना— जहानाबाद
- (घ) स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि
1. श्री कृष्णा प्रसाद गुप्ता, — सदस्य
रेशमा ग्रामीण विकास संघ, जहानाबाद,
पता— मो0— राजाबाजार, जहानाबाद
 2. श्रीमति नितु कुमारी, बुद्ध सेवा परिषद्, जहानाबाद, — सदस्य
पता— मो0— राजाबाजार, जहानाबाद
 3. श्रीमति ज्योति मणी, — सदस्य

ज्योति कल्याण केन्द्र, जहानाबाद
पता-ग्राम+पो0- काजिसराय, थाना- काको

4. श्रीमति शशि भूषण कुमार, — सदस्य
जिला बाल कल्याण समिति, जहानाबाद,
पता- मो0- राजाबाजार, जहानाबाद

(ड.) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि

- 1 संजय कुमार, — सदस्य
पता- मो0- राजाबाजार, जहानाबाद
- 2 संजीत कुमार, — सदस्य
पता- मो0- राजाबाजार, जहानाबाद
- 3 श्री अरविन्द कुमार, — सदस्य
पता-ग्राम+ पो0- सोनवाँ, थाना- घोषी
- 4 श्री महेन्द्र कुमार सिंह, — सदस्य
पता- ग्राम- कामदेव बिगहा,
पो0+थाना- जहानाबाद।

(च) उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधि-

- 1 सैयद मुशरफ ईमान पल्वी, — सदस्य
पता-ग्राम- ईरकी, पो0+थाना- जहानाबाद
- 2 श्री वालेश्वर सिंह, — सदस्य
महासचिव किसान विकास संघ, जहानाबाद,
पता- ग्राम- नन्हागंज, पो0- करहरी,
प्रखंड- रतनीफरीदपुर
- 3 श्री रणधीर कुमार, — सदस्य
पता- ग्राम+पो0- नरमा, थाना- हुलासगंज
- 4 डॉ० रीता कुमारी, — सदस्य
आयुष्य महासभा सदस्य,
स्वास्थ्य जागरूकता मिशन, पटना,
पता- ग्राम+पो0- भारथु, थाना- घोषी।

2. शर्त:-

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 03 (तीन) वर्षों का होगा।
2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य है, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुनर्गठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

